समाहरणालय, मुंगेर
मुंगेर-811201
(विधि-व्यवस्था कोषांग)

आ दे श

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0–464/GJ-LA/2007 दिनांक–26 नवम्बर, 2007 (निर्देश क्रम सं0–88) में निहित निदेश के आलोक में 28–मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2019 के मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं निर्वाचन की शुद्धता बनाए रखने के उदेश्य से मैं, राजेश मीणा, जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर, 28–मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मुंगेर जिला के 165–मुंगेर एवं 166–जमालपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक–28.04.2019 के 6:00 बजे अपराहन् से दिनांक 29.04.2019 के 07:00 बजे अपराहन् तक राजनीतिक प्रकृति के SMS प्रेषण पर प्रतिबंध लगाता हूँ।

यदि प्रतिबंधित अवधि में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

24/04
(राजेश मीणा)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक–131 /वि0व्य0को0, मुंगेर दिनांक 24 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि :मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ,पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :सामान्य प्रेक्षक/पुलिस प्रेक्षक/व्यय प्रेक्षक, 28–मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/खड़गपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/खड़गपुर/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी/थानाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुंगेर जिला के सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि दूरसंचार प्रबंधक, BSNL मुंगेर/सभी निजी मोबाईल सेवा प्रदाता, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दूरसंचार प्रबंधक, बी.एस.एन.एल, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि सभी सेवा प्रदाता कम्पनियों के साथ इस संबंध में बैठक कर उपरोक्त का निदेश अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा यह निदेश निर्गत करेंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिलिपि :जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसे विभिन्न समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवगत करायें ताकि इसका वृहद प्रचार–प्रसार हो सके।

24/04
(राजेश मीणा)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता,
मुंगेर।